संख्या– /XV-2/01(03)/2019(डेरी)

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02

देहरादूनः दिनांक 24 सितम्बर, 2019

विषय–''साईलेज एवं दुधारू पशुपोषण''योजना के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक सं0–406/नियोजन–सा0एंव दु0 प0पो0यो0 पत्रा0/2019–20 दिनांक 19 जुलाई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि प्रदेश में संचालित दुग्ध सहकारी समितियों से जुडे दुग्ध उत्पादक सदस्यों में उनके दुधारू पशुओं के उपयोग हेतु गुणवत्ता युक्त हरे चारे एवं मिनिरल मिक्चर के उपयोग के चलन की कमी एवं प्रोबाइटिक्स जो कि दुधारू पशुओं में माइक्रोन्यूट्रेशन की कमी को दूर करता है।

3– अतः विषयगत प्रकरण में हरे चारे के विकल्प के रूप में वैक्यूम पैक्ड साईलेज एवं मिनिरल मिक्चर तथा प्रोबाइटिक्स चलन को बढ़ावा देकर दुधारू पशुओं को कुपोषण से बचाने एवं उनके दुग्ध उत्पादन को बढ़ाये जाने के उददेश्य से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन **''साईलेज एवं दुधारू पशुपोषण''** योजना प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। योजना का स्वरूप एंव मार्ग निर्देश निम्नवत हैः–

1–**''साईलेज एवं दुधारू पशुपोषण''** योजना में मुख्यतः 03 अवयव कमशः वैक्यूम पैक्ड साईलेज एवं मिनिरल मिक्चर तथा प्रोबाइटिक्स है, जो कि योजनान्तर्गत उनकी मूल्य के 50 प्रतिशत अनुदान पर दुग्ध सहकारी समितियों से जुडे दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी।

2–साईलेज का उत्पादन जनपद देहरादून स्थित ''साईलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि0'' देहरादून एवं विभागीय पशुआहार निर्माणशाला ऊधमसिंहनगर द्वारा तथा मिनिरल मिक्चर का उत्पादन भी पशुआहार निर्माणशाला द्वारा किया जा रहा है, जिनके माध्यम से इन उत्पादों की आपूर्ति की जायेगी। चूंकि प्रोबाइटिक्स का उत्पादन विभिन्न पशु औषधि निर्माता कम्पनियों द्वारा किया जाता है। इसलिए यह उत्पाद निविदा के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3–योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले साईलेज की जनपदवार गणना जनपदों से प्राप्त मांग तथा मिनिरल मिक्चर की गणना, गत वर्ष 2018–19 की आपूर्ति के आधार पर की गई है एवं प्रोबाइटिक्स चूँकि दुग्ध उत्पादकों को प्रथमवार उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है इसलिए इसकी गणना जनपदीय संभावनाओं के आधार पर की गई है। जनपदवार सूचना संलग्नक–1, 2 एवं 3 पर संलग्न है।

4—जनपदवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वास्तविक व्यय की सूचना/मांग प्राप्त होने के उपरान्त ही शासन स्तर से स्वीकृत धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी।

5—संबंधित दुग्ध संघ द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले साईलेज, मिनिरल मिक्चर एवं प्रोबाइटिक्स के सापेक्ष धनराशि की मांग जनपदीय सहायक निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी, तदोपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त धनराशि दुग्ध संघ को उपलब्ध करायी जायेगी। दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों को अवयव 50 प्रतिशत अनुदान धनराशि समायोजित करते हुए अवयव 50 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध करायी जायेगी।

6—उक्त योजनान्तर्गत अनुदान की धनराशि से संबंधित दुग्ध सहकारी समितियों को D.B.T के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

7—योजना से संबंधित सामग्री का कय अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप करते हुये धनराशि का व्यय निर्धारित बजट से अधिक नहीं किया जायेगा।

8—योजना के कियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रत्येक जनपद स्तर पर सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करायी जायेगी।

9—शासन स्तर से स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत उपयोग करते हुए भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित उपयोगिता प्रमाण—पत्र सक्षम स्तर से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(आर.मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या– 418 /XV-2/01(03)/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. स्टॉफ ऑफिसर—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, दुग्ध को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0एस0 पुन्डीर)
उप सचिव।